



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 26 फरवरी, 2014 ई0

फाल्गुन 07, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 92/XXXVI(3)/2014/17(1)/2014

देहरादून, 26 फरवरी, 2014

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014” पर दिनांक 26 फरवरी, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 07 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2014

(अधिनियम संख्या-07 वर्ष 2014)

31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए—

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2014 है।

उत्तराखण्ड की
समेकित निधि में
से वर्ष 2014-15
के लिये
रु0303537786000
का दिया जाना

2. उत्तराखण्ड राज्य की संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ- 2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों, जिन सबका कुल योग रुपये 303537786000 (रुपये तीस हजार तीन सौ तिरपन करोड़ सतहत्तर लाख छियासी हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3- इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है उनका विनियोग 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक		
			(धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
01—	विधान सभा	राजस्व	274126	11790	285916
		पूंजी	881000	0	881000
02—	राज्यपाल	राजस्व	0	69705	69705
		पूंजी	0	0	0
03—	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	404601	0	404601
		पूंजी	0	0	0
04—	न्याय प्रशासन	राजस्व	1429414	298091	1727505
		पूंजी	250001	0	250001
05—	निर्वाचन	राजस्व	466641	0	466641
		पूंजी	0	0	0
06—	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	20234238	25139	20259377
		पूंजी	84001	5000	89001
07—	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	43176734	30649277	73826011
		पूंजी	1562607	17577900	19140507
08—	आबकारी	राजस्व	144772	0	144772
		पूंजी	0	0	0
09—	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	119116	119116
		पूंजी	0	10000	10000
10—	पुलिस एवं जेल	राजस्व	11279371	0	11279371
		पूंजी	259304		259304
11—	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	49455032	0	49455032
		पूंजी	3633271	0	3633271
12—	विकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	11930213	0	11930213
		पूंजी	2299006	0	2299006
13—	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	6596966	0	6596966
		पूंजी	6955002	0	6955002
14—	सूचना	राजस्व	380018	0	380018
		पूंजी	5000	0	5000
15—	कल्याण योजनायें	राजस्व	11710510	0	11710510
		पूंजी	1449301	0	1449301
16—	श्रम और रोजगार	राजस्व	1689266	0	1689266
		पूंजी	246000	0	246000
17—	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	5199581	0	5199581
		पूंजी	44303	0	44303

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक		
			(धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
18—	सहकारिता	राजस्व	430797	0	430797
		पूँजी	70000	0	70000
19—	ग्राम्य विकास	राजस्व	8155774	0	8155774
		पूँजी	2599476	0	2599476
20—	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	4168636	0	4168636
		पूँजी	8123778	0	8123778
21—	ऊर्जा	राजस्व	267896	0	267896
		पूँजी	4927103	0	4927103
22—	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	7245480	49900	7295380
		पूँजी	6806000	0	6806000
23—	उद्योग	राजस्व	909852	0	909852
		पूँजी	146887	0	146887
24—	परिवहन	राजस्व	391189	0	391189
		पूँजी	387007	0	387007
25—	खाद्य	राजस्व	2281195	0	2281195
		पूँजी	50001	0	50001
26—	पर्यटन	राजस्व	1008064	0	1008064
		पूँजी	644502	0	644502
27—	वन	राजस्व	4936901	0	4936901
		पूँजी	326005	0	326005
28—	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	1600453	0	1600453
		पूँजी	19928	0	19928
29—	औद्योगिक विकास	राजस्व	1296072	6024	1302096
		पूँजी	0	0	0
30—	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	7694978	0	7694978
		पूँजी	4993874	0	4993874
31—	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	1932469	0	1932469
		पूँजी	1261248		1261248
	योग—	राजस्व	206691239	31229042	237920281
		पूँजी	48024605	17592900	65617505
	महायोग		254715844	48821942	303537786

आज्ञा से,

के0 डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।